

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वाराणसी

अभियुक्त ने जुर्म स्वीकार किया। जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड की धनराशि जमा कर दी गयी है। पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

वाराणसी।